

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2015/ ९५३.

दिनांक:- ७/१२/१५

आदेश

अरावली विहार योजना भिवाड़ी में मध्यम आय वर्ग-ब (एस+3) के 6 फ्लेटों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम जयपुर के प्रस्तावानुसार उक्त फ्लेटों को नियमानुसार खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, निस्तारण किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.स.	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी.)	फ्लेट संख्या
1	MIG-B (S+3)	06	109.10	4JF17, 4JF18, 4JF20, 4NF7, 4NF 9, 4NF 44

उक्त सारणी में दर्शाए गये आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है :—

उक्त आवासों के अलावा संबंधित स्कीम में कोई अन्य आवास खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है। आवासों का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावें। आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है। किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित कर ले। उक्त प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्याय विवाद लम्बित नहीं है तथा उक्त आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है। आवासों का निस्तारण करने से पूर्व तकनीकी सहायक आवासन आयुक्त महोदय द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक टीए/एच.सी./2015/624 दिनांक 03.11.15 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त एवं माननीय अध्यक्ष महोदय का पत्रावली पैरा संख्या 10-11/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ —

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा०आ०म०, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-अलवर, रा०आ०म० अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-भिवाड़ी, रा०आ०म० भिवाड़ी।
8. ~~मुख्यकृत~~ एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक (मु)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2015/ ९५५.

दिनांक:-७/१२/१५

आदेश

अरावली विहार योजना भिवाड़ी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) के 25 फ्लेटों का अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम जयपुर के प्रस्तावानुसार उक्त फ्लेटों को नियमानुसार खुली बिकी योजना के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी.)	फ्लेट संख्या
1	EWS (G.F.)	04	42.625	10/340, 10/386, 10/532, 10/689
2	EWS (F.F.)	06	36.431	10/182, 10/406, 10/437, 10/536, 10/678, 10/695
3	EWS (S.F.)	04	34.882	10/268, 10/379, 10/393, 10/667,
4	EWS (T.F.)	11	31.785	10/16, 10/174, 10/238, 10/256, 10/350, 10/383, 10/445, 10/685, 10/702, 10/703, 10/704
कुल फ्लेट्स			25	

उक्त सारणी में दर्शाए गये आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है:-


उक्त आवासों के अलावा संबंधित रकीम में कोई अन्य आवास खुली बिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है। आवासों का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावें। आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है। किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित कर ले। उक्त प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्याय विवाद लम्बित नहीं है तथा उक्त आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है। आवासों का निस्तारण करने से पूर्व तकनीकी सहायक आवासन आयुक्त महोदय द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक टीए/एच.सी./2015/624 दिनांक 03.11.15 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त एवं माननीय अध्यक्ष महोदय का पत्रावली पैरा संख्या 10-11/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

- निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा०आ०म०, जयपुर।
- अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, वृत-अलवर, रा०आ०म० अलवर।
- आवासीय अभियन्ता खण्ड-भिवाड़ी, रा०आ०म० भिवाड़ी।
- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा०आ०म०, जयपुर
- रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक (भु.)